

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:मुसप्र/नवीन पंजी./2013/1270

दिनांक:- 20/2/13

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सामान्य पंजीकरण योजना/ स्ववित्त पोषित योजना-2013 के अन्तर्गत निम्नांकित शहरों में नवीन पंजीकरण योजना प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	शहर/योजना का नाम	सैक्टर	आय वर्ग	आवासों की संख्या	पंजीकरण का प्रकार	विवरण
1	प्रताप नगर आवासीय योजना, जयपुर	18	मध्यम आयवर्ग "अ" (एस+11)	440	एस.एफ.एस.	वर्षवार पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिए प्रताप अपार्टमेन्ट के अल्प आयवर्ग के पूर्व पंजीकृत आवेदक, द्वारकापुरी के लम्बित पंजीकृत आवेदक एवं प्रताप नगर के सामान्य पंजीकृत लम्बित आवेदक)
2	प्रताप नगर आवासीय योजना, जयपुर	26	उच्च आयवर्ग (एस +10)	80	एसएफएस	सभी आवेदकों के लिए
		11	मध्यम आयवर्ग "ब" (एस +10)	160	एसएफएस	सभी आवेदकों के लिए
3	आवासीय योजना, अन्ता बारां		मध्यम आयवर्ग "ब"	07	सा.पंजीकरण योजना(ओ. आर.एस. /एचपीएस	सभी आवेदकों के लिए
			उच्च आयवर्ग	15	सा.पंजीकरण योजना(ओ. आर.एस. /एचपीएस	सभी आवेदकों के लिए
4	झालावाड आवासीय योजना	-	अल्प आयवर्ग	07	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
5	नैनवा आवासीय योजना	-	आ.दू.से कमजोर	21	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
			अल्प आयवर्ग	38	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए

			मध्यम आयवर्ग "अ"	22	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
	अटरू आवासीय योजना	-	आ.दृ.से कमजोर	26	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
6	छबडा आवासीय योजना	-	आ.दृ.से कमजोर	49	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
			मध्यम आयवर्ग "अ"	112	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
7	किशनगढ आवासीय योजना, अजमेर	-	आ.दृ.से कमजोर	500	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
			अल्प आयवर्ग	250	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
			मध्यम आयवर्ग "अ"	125	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
			मध्यम आयवर्ग "ब"	75	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
			उच्च आयवर्ग	50	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
8	गोविन्द नगर आवासीय योजना, राजसमन्द	-	आ.दृ.से कमजोर	09	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
			मध्यम आयवर्ग "अ"	42	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
9	कुडी भक्तासनी आवासीय योजना, फेज-द्वितीय, पाली रोड, जोधपुर	-	आ.दृ.से कमजोर (जी+3)	256	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए
			अल्प आयवर्ग (जी+3)	224	सा.पंजी. (ओआरएस/ एचपीएस)	सभी आवेदकों के लिए

		मध्यम आयवर्ग "अ" (जी+3)	128	एस.एफ.एस.	सभी आवेदकों के लिए
प्रस्तावित आवासो/फ्लेटों की कुल संख्या			2636		


उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।



(नीरज के. पवन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा.आ.मंडल, जयपुर।
2. सचिव/ मुख्य अभियन्ता / वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा.आ.मंडल, जयपुर
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मंडल,जयपुर को स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सक्षम स्तर से योजना प्रारम्भ/अन्तिम तिथी का निर्धारण करवायें लागत निर्धारित करावें, पंजीकरण आवेदन पत्र विक्रय/जमा इत्यादि कार्यों हेतु बैंकों का निर्धारण करावें, प्रस्तावित आवासों की निर्धारित समय में सही बुकलेट तैयार करावें एवं योजना प्रारम्भ करने की तिथि से पूर्व जन संपर्क अधिकारी के माध्यम से मंडल नियमानुसार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन करावें। योजना की बुक लेट की दो- दो प्रतियां अध्यक्ष सचिवालय/आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ एवं मुख्य संपदा प्रबंधक प्रकोष्ठ में योजना प्रारम्भ तिथि से तीन दिवस पूर्व उपलब्ध करवाना तथा अन्य वांछित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें समय पर पर वांछित कार्यवाही नहीं होने या गलत कार्यवाही होने पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सहित संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-पी.एण्ड.एम., रा.आ.मंडल,जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक-मुख्य संपदा प्रबंधक, रा.आ.मंडल, जयपुर।
6. जन संपर्क अधिकारी, रा.आ.मंडल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त-वृत्त-..... रा.आ.मंडल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-, रा.आ.मंडल,
9. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा.आ.मंडल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मंडल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. रक्षित पत्रावली।


(नलिनी कठोटिया)
मुख्य संपदा प्रबंधक